संस्था बहिर्नियम
एवं
संस्था अंतर्नियम

टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.
(भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)

अनुक्रमणिका

संगम ज्ञापन(विधि)

पैरा	विषय		पृष्ठ संख्या
I	कम्पनी का नाम	……	1
II	कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय	……	1
III	उद्देश्य	……	1
	क- मुख्य उद्देश्य		
1.	जल विद्युत ऊर्जा एवं सिंचाई क्षमता का विकास	……	1
2.	सहायक क्रिया-कलापों का समन्वय एवं नियंत्रण	……	1
3.	सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के एजेंट के रूप में कार्य करना	……	1-2
4.	नियोजन, परिकल्प एवं निर्माण, इरेक्शन, उत्पादन, पारेषण, वितरण एवं जलविद्युत ऊर्जा की बिक्री तथा अन्य व्यवसाय करना	……	2
	ख- गौण उद्देश्य		
5.	सहायक कंपनियों के लिए सहायक एवं सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में कार्य करना	……	2
6.	चार्टर्स, रियायतें आदि लेना	……	2
7.	धन उधार लेना	……	2
8.	सम्पत्ति को अधिग्रहीत/पट्टे पर लेना	……	3
9.	व्यवसाय/कंपनियों को अधिग्रहीत करना	……	3
10.	अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्राधिकार आदि प्राप्त करना	……	3
11.	जानकारी आदि प्राप्त करना	……	3
12.	अनुसंधान करना तथा विकास एवं प्रशिक्षण	……	4
13.	तकनीकी संस्थाओं एवं छात्रावासों को स्थापित करना	……	4
14.	संपत्ति आदि का सुधार करना	……	4
15.	धन निवेश करना	……	4

पैरा	विषय	पृष्ठ संख्या
16.	कर्मचारियों के कल्याण हेतु प्रावधान करना	4-5
17.	संपत्ति बेचना	5
18.	संविदा करना	5
19.	एजेंसियों आदि की स्थापना करना	5
20.	शेयरों के लिए अभिदत्त करना	6
21.	मूल्यह्रास निधि बनाना	6
22.	बैंको आदि में खाते खोलना	6
23.	कंपनियों को अधिग्रहीत करना	6
24.	परामर्शी सेवाएं देना	6
25.	अन्य कंपनियों को बढ़ावा देना	6
26.	सुविधाजनक व्यवसाय चलाना	6
	ग- अन्य उद्देश्य	
27.	उद्यमी के रूप में कार्य करना	7
28.	धन उधार देना	7
29.	सूचनाएं आदि एकत्रित करना	7
30.	भूमि आदि के द्वारा कैरियर्स का व्यवसाय करना	7
31.	सहायक कंपनियों द्वारा व्यवसाय किए जा रहे सामान आदि का व्यवसाय करना	7
iv.	सीमित देयताएं	7
v.	शेयर पूंजी	8
	अभिदाता का नाम	9

संस्था अंतर्नियम

अनुच्छेद	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	निर्वचन	9
2.	सारणी 'क' का प्रयोग न करें	11
3.	अनुच्छेदों द्वारा शासित कंपनी	11
4.	कंपनी एक निजी कंपनी है	11
	पूंजी एवं शेयर	
5.	शेयर पूंजी	11
6.	शेयर का आवंटन	12
	प्रमाण पत्र	
7.	प्रमाण-पत्रों के लिए सदस्य के अधिकार	12
8.	विरूपित आदि की जगह नया प्रमाण-पत्र जारी करना	12
	शेयरों का अंतरण एवं संप्रेषण	
9.	शेयरों का अंतरण एवं संप्रेषण	12
10.	अंतरण की पंजिका	12
11.	अंतरण करना	12
12.	शेयरों का संप्रेषण	12
	पूंजी की बढ़ोत्तरी, कटौती एवं परिवर्तन	
13.	पूंजी की बढ़ोत्तरी	13
14.	किस शर्त पर नए शेयर्स जारी किए जाएं	13
15.	वर्तमान सदस्यों को कब शेयर्स दिए जाएं	13
16.	मूल पूंजी के भाग के रूप में नए शेयर	13
17.	पूंजी आदि में कटौती	13
18.	शेयरों का उप-विभाजन एवं एकीकरण	13
	ऋण लेने की शक्ति	
19.	ऋण लेने की शक्ति	14
20.	बॉंड, डिबेंचर आदि जारी करना	14

अनुच्छेद	विषय	पृष्ठ संख्या

21.	आम बैठकों की सूचना	14
22.	पारित संकल्प के अमान्य न करने की सूचना देने की भूल	14
23.	कोरम	14
24.	आम बैठक का अध्यक्ष	14
25.	अध्यक्ष का अंतिम निर्णय	14
	<u>सदस्यों के मत</u>	
26.	मत	15
27.	मृत सदस्य के शेयरों के संबंध में मत	15
28.	प्रतिनिधि का फार्म	15
29.	कंपनी पंजीकृत शेयर धारकों के अलावा किसी भी प्रकार के शेयर में रूचि रखने के लिए बाध्य नहीं	16
	<u>निदेशक मंडल</u>	
30-31.	निदेशकों की संख्या	16
32.	निदेशकों की नियुव्ति	16
33-34.	वैकल्पिक निदेशक	17
35.	अध्यक्ष की शव्तियां	17
36-37.	निर्देशों को जारी करने हेतु राष्ट्रपति की शव्तियां	19
38.	निदेशक कंपनी द्वारा प्रवर्धित कंपनियों के निदेशक होने चाहिए	19
39.	सूचना देने की भूल	19
40.	बोर्ड की बैठक में प्रश्नों का निपटारा कैसे हो	20
41.	बोर्ड की बैठक की कौन अध्यक्षता करता है	20
42.	बोर्ड समितियों को बना सकती है	20
43.	समितियों की बैठकें कैसे शासित हों	20
44.	समितियों की बैठकों का अध्यक्ष	20
45.	बोर्ड की सामान्य शव्तियां	20
46.	निदेशकों की विशिष्ट शव्तियां	20

अनुच्छेद	विषय	पृष्ठ संख्या

मुहर

47. मुहर एवं इसकी अभिरक्षा 23

<u>लाभ एवं लाभांश का बंटवारा</u>

48. लाभ का बंटवारा 23
49. कंपनी आम बैठक में लाभांश की घोषणा कर सकती है 23
50. अंतरिम लाभांश 23

<u>लेखा</u>

51. कंपनी की लेखों एवं बहियों का सदस्यों द्वारा निरीक्षण 24

<u>लेखा-परीक्षा</u>

52. लेखों की वार्षिक आधार पर लेखा-परीक्षा की जाएं 24
53. लेखा-परीक्षकों की नियुव्ति 24
54. नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की शव्तियां 24
55. लेखा-परीक्षकों का बैठक में भाग लेने का अधिकार 25
56. लेखों को कब अंतिम रूप से निपटाया माना जाए 25

<u>सूचना</u>

57. सदस्यों की मृत्यु या दिवालिया होने पर शेयर लेने हेतु व्यव्तियों को सूचना 25

<u>समापन करना</u>

58. परिसंपत्तियों का वितरण 25

<u>गुप्तता</u>

59. गुप्तता खण्ड 25

<u>क्षतिपूर्ति एवं जिम्मेदारी</u>

60. निदेशकों एवं अन्यों को क्षतिपूर्ति का अधिकार 26
61. अन्यों के कार्य के लिए अधिकारी जिम्मेदार नहीं 26

<u>लागत प्रभाजन एवं हितलाभ</u>

62.	लागत प्रभाजन	26
63.	हितलाभ	27
	अभिदाताओं के नाम	28

टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.

(भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)

का

संस्था बहिर्नियम

कंपनी का नाम I. कंपनी का नाम **टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.** है।

पंजीकृत कार्यालय II. कंपनी का **पंजीकृत कार्यालय,** नई टिहरी शहर या कंपनी द्वारा निर्णीत उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसी अन्य जगह होगी।

उद्देश्य III. उद्देश्य, जिसके लिए कंपनी स्थापित की गई है:

मुख्य उद्देश्य क. **कंपनी की अपनी स्थापना होने पर प्रमुख उद्देश्यों हेतु पहल की जानी है:**

जल विद्युत क्षमता का विकास 1. विद्युत उत्पादन तथा इसके सभी पहलुओं आयोजना, अन्वेषण, अनुसंधान, परिकल्प एवं प्राथमिक, साध्यता एवं परियोजना की निश्चित रिपोर्टों, निर्माण सहित(परिणामतः पर्यावरणीय सुरक्षा, वनीकरण एवं पुनर्वास कार्यों सहित) हाइड्रो पावर स्टेशनों एवं परियोजनाओं के उत्पादन, प्रचालन एवं अनुरक्षण, पारेषण, वितरण एवं लाभार्थी राज्यों को जल विद्युत केन्द्रों से उत्पादित बिजली का वितरण एवं थोक बिक्री तथा सहमत मानदंडों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य को सिंचाई एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए पानी छोड़ना तथा अन्य प्रयोजनों के लिए विद्युत उत्पादन हेतु टिहरी (यहां टिहरी पावर काम्पलैक्स कहा जाएगा) के पास भगीरथी नदी तथा इसकी सहायक नदियों से जल विद्युत संसाधनों के एकीकृत एवं कुशलतापूर्वक विकास करना, योजना बनाना, उन्नतीकरण करना एवं संगठित करना एवं पूरक डाउनस्ट्रीम विकास ।

1(क) राज्य सरकार द्वारा कंपनी को भगीरथी भिलंगना घाटी में यथा सौंपी गई ऐसे जल विद्युत स्थलों/परियोजनाओं का विकास एवं दोहन उसी ढंग से कार्यान्वित करना।

पारेषण लाइनों का निर्माण 2. जहां आवश्यकता हो, पारेषण लाईनों का निर्माण तथा सहायक

निर्माण को समय पर करना तथा विद्युत विनिमय हेतु समन्वय करना।

सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय	3.	आयोजना, अन्वेषणों, अनुसंधान, परिकल्प तथा प्राथमिक साध्यता संस्थाओं के एजेंट तथा निश्चित परियोजना रिपोर्टों के तैयार करने में जल विद्युत केन्द्रों तथा परियोजनाओं के निर्माण, उत्पादन, प्रचालन, अनुरक्षण सरकार/सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत बैंकों, राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों द्वारा इन कंपनियों में वित्तीय निवेशों तथा ऋणों की अत्यधिक प्रभावशाली उपयोगिता तथा संबंधित उद्योगों के विकास सुनिश्चित करने के मद्देनजर उनके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के बारे में जल विद्युत के पारेषण, वितरण तथा बिक्री में कार्यरत किसी कंपनी की किन्हीं बैठकों में प्रयोज्नीय सभी अधिकारों व शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के एजेंट के तौर पर कार्य करना।
विनिर्माण,व्यापार तथा अन्य व्यवसाय	**4.**	खरीदने, बेचने, आयात, निर्यात, उत्पादन करने, व्यापार करने, विनिर्माण करने का व्यवसाय करना या अन्यथा आयोजना, अन्वेषण, अनुसंधान, परिकल्प तथा प्राथमिक साध्यता एवं निश्चित परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने, जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण, उत्पादन, परिचालन एवं रख-रखाव, हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर के पारेषण, वितरण तथा बिक्री, जल विद्युत विकास, सहायक एवं अन्य संबद्ध उद्योगों के सभी पहलुओं पर व्यापार करना तथा उस प्रयोजन हेतु सभी आवश्यक संयंत्रों, स्थापनाओं तथा कार्यों का स्थापन, प्रचालन तथा प्रबंधन करना।
	ख.	**प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रासंगिक या सहायक उद्देश्य।**
सहायक कंपनियों के लिए एवं सहायक सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में	5.	अपनी सहायक कंपनियों एवं अन्य संबंधित संस्थाओं को ऐसी सुविधाएं, संसाधनों, इनपुट तथा सेवाओं की व्यवस्था करना, सुनिश्चित करना तथा उपलब्ध कराना।
अधिकारों में छूट आदि प्राप्त करना	6.	भारत सरकार या अन्य सरकार या राज्य या कोई स्थानीय या राज्य सरकार या प्राधिकरणों, सर्वोच्च, राष्ट्रीय, स्थानीय, नगर पालिका या अन्यथा या किसी फर्म या व्यक्ति के साथ करार करने के उद्देश्यों को परोक्ष रूप से पूरा करने या कंपनी एवं इसके सदस्यों के हितों को बढ़ाने तथा ऐसी सरकार, राज्य प्राधिकरण या व्यक्ति से

किन्हीं अधिकारों, सब्सिडियों, ऋणों, क्षतिपूर्तियों, अनुदानों, संविदाओं,िडक्रियों, अधिकारों, स्वीकृतियों, विशेषाधिकारों, विज्ञप्तियों या रियायतों, जो कुछ भी हो, (चाहे सांविधिक या अन्य) जिसे कंपनी प्राप्त करने तथा अनुपालन, प्रयोग के लिए उचित मानती है।

उधार लेने के अधिकार

7. कंपनी के व्यवसाय के विद्युत वित्त पोषण करने के प्रयोजनार्थ प्रतिभूति सहित या बिना प्रतिभूति, या बंधक के या उपक्रम पर भारित अन्य प्रतिभूति के बिना या अवांछित पूंजी सहित कंपनी की सभी या किन्हीं भी परिसंपत्तियों के लिए धन उधार लेना या

जमाराशि प्राप्त करना तथा किन्हीं ऐसी प्रतिभूतियों को बढ़ाना, घटाना या पूरा ऋण चुकता करना।

संपत्ति को अधिग्रहीत/ पट्टे पर लेना

8. क्रय, पट्टा, विनिमय, भाड़े के द्वारा या अन्यथा अधिग्रहण करना या कारखानों, निर्माणों, भवनों के पट्टे पर लेना, अनुरक्षण तथा निर्माण करना तथा भारत में या विश्व के किसी भी भाग में स्थित सभी प्रकार की सुविधाओं, भूमि, भवनों, अपार्टमेंटों, संयत्र मशीनरी तथा किसी भी अवधि या बताई गई अवधि की पुश्तैनी संपत्ति तथा कोई सम्पदा को लेना या उसमें रूचि दिखाना या ऐसी स्थिति वाली भूमि पर या संबंधितों पर अधिकार जताना तथा किसी भी तरह से उन्हें ऐसी मद में बदलना जो कंपनी के व्यवसाय के प्रयोजनार्थ कालोचित, आवश्यक या सुविधाजनक महसूस हो।

व्यवसाय/कंपनियों को अधिग्रहीत करना

9. किसी व्यवसाय, जिसमें कंपनी कार्य करने के लिए प्राधिकृत हो, को कर रहे किसी व्यव्ति, फर्म, संस्था, संघ, निगम या कंपनी के पूरे या किसी भाग के व्यवसाय, परिसंपत्तियों, संपत्ति, साख, अधिकारों तथा देयताओं का अधिग्रहण, कब्जा करना तथा हथिया लेना ।

अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्राधिकार आदि प्राप्त करना

10. कंपनी को शव्तियों, प्राधिकारों, संरक्षण, वित्तीय एवं अन्य सहायता, आवश्यकता या कंपनी के उद्देश्यों में या कोई अन्य उद्देश्य को पूरा करने, बढ़ोत्तरी जो कालोचित लगता हो तथा किसी भी कार्यवाही का विरोध या आवेदनों या किन्हीं अन्य प्रयासों, कदमों या उपायों जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कंपनी के हित में हो, को प्राप्त करने के समर्थ बनाने हेतु भारत में या विश्व के किसी भाग में आदेश या विधायी

कार्रवाई या इसके प्राधिकार के अधिनियम को जारी करने की व्यवस्था प्राप्त करना या लागू करने हेतु आवेदन करना।

जानकारी आदि प्राप्त करना

11. क्रय या अन्यथा, कोई ट्रेडमार्क, पैटेन्ट लेने हेतु आवेदन करना या आदेश-पत्रों या आविष्कारों, अनुज्ञप्तियों, रियायतों के लिए आवेदन करना तथा किसी खोज की कोई गुप्त या अन्य गुप्त सूचना के प्रयोग में अधिकारों को शामिल करना या न शामिल करना या सीमित अधिकार प्रदान करना या जो कंपनी के किसी उद्देश्यों के प्रयोग किए जाने योग्य समझे जाते हैं या जिसके अधिग्रहण से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी को लाभ हो, के बारे में सोचा गया हो तथा अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में या अन्यथा जिसका संपत्ति, अधिकार या सूचना प्रदान करने के लिए ऐसे अधिग्रहण का उपयोग, प्रयोग, विकास किया जाए।

अनुसंधान करना, विकास एवं प्रशिक्षण

12. वैज्ञानिक, तकनीकी या अनुसंधान प्रयोगों के लिए तथा अन्य अभिकरणों के साथ सभी प्रकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान, प्रयोगों तथा परीक्षणों को सीधे या सहभागिता से लेना या करना तथा नए उत्पादों तथा उनकी विनिर्माण तकनीक को शुरू करना सुधार एवं आविष्कार करना ताकि उनको हर तरह से बढ़ावा, प्रोत्साहन या पुरस्कार मिले, अध्ययनों एवं अनुसंधान, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अन्वेषणों तथा किसी भी प्रकार का आविष्कार जिससे तकनीक के शीघ्र उन्नतीकरण तथा अर्थव्यवस्था, आयात प्रतिस्थापन या अन्य कोई व्यवसाय, जिसे कंपनी करने के लिए प्राधिकृत हो, में सहायता, प्रोत्साहित तथा संवर्धन करने की संभावना हो, अनुसंधान प्रयोगशालाओं या प्रयोगात्मक कर्मशालाओं को स्थापित, प्रदान, अनुरक्षण तथा संचालन करना या अन्यथा सब्सिडीज देना।

तकनीकी संस्थाओं एवं छात्रावासों को स्थापित करना

13. भारत में या विश्व के किसी भी भाग में सभी प्रकार के अभियंताओं तथा अन्य तकनीकी स्टाफ तथा सभी प्रकार एवं किस्म के शिल्पकारों तथा मैकेनिकों एवं लेखाकारों एवं अन्यों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं एवं छात्रावासों को स्थापित, अनुरक्षित एवं प्रचालित करना ताकि जो सभी श्रेणियों के अधिकारियों, कामगारों, लिपिकों, स्टोर कीपरों एवं अन्य कार्मिकों के लिए, जिनसे कंपनी द्वारा प्राधिकृत किसी एवंभी व्यवसाय को करने में उपयोगिता एवं सहायता की संभावना हो, के लिए प्रशिक्षण हेतु कालोचित अन्य व्यवस्थाएं करना।

संपत्ति आदि का

14. कंपनी के किन्हीं अधिकारों या संपत्तियों से संव्यवहार में उनका

सुधार करना विक्रय, सुधार, व्यवस्था, विकास, विनिमय ऋण या पट्टा या उप-पट्टे में देना, उप किराएदारी, बंधक, निस्तारण, किसी भी प्रकार के संव्यवहार को मद में या अन्यथा बदलना।

धन निवेश करना 15. निधियों को संचित तथा निवेश करना या अन्यथा धन को कंपनी में या के साथ संबंधित कारोबार में लगाना, जिसकी तुंत आवश्यकता न हो तथा किन्हीं भी शेयरों, प्रतिभूतियों के खरीद या अधिग्रहण, या अन्य निवेशों, जो कुछ भी हो चाहे चल या अचल संपत्ति में उस अवधि के लिए लगाना, जो उचित समझा जाए तथा समय-समय पर ऐसे सभी निवेशों में या किन्हीं ऐसे निवेशों में इस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है, जिसे कंपनी उचित समझती है।

कर्मचारियों के कल्याण हेतु प्रावधान करना 16. कंपनी द्वारा नियोजित व्यक्तियों या पूर्व में नियोजित व्यक्तियों के सुधार एवं कल्याण हेतु तथा पत्नियों,परिवारों तथा आश्रितों या ऐसे व्यक्तियों के संबंधितों को निर्माण द्वारा या मकान या निवास निर्माण में योगदान कर या धन के अनुदान द्वारा, पेंशन, भत्तों,

बोनस या अन्य भुगतानों द्वारा या अंशदायी निधि के सृजन द्वारा तथा समय-समय पर अंशदान कर या योगदान कर या भविष्य निधि एवं अन्य संघों, संस्थाओं, निधियों या न्यास में या कंपनी द्वारा नियोजित व्यक्तियों को सहायता करने या प्रीमियम के भुगतान या अन्यथा द्वारा उनके जीवन का बीमा बनाए रखने या शिक्षण स्थलों तथा मनोरंजन स्थलों, चिकित्सालयों तथा औषधालयों, मेडिकल तथा अन्य सेवाओं तथा अन्य सहायता हेतु अंशदान या योगदान देने जिसे कंपनी द्वारा उचित समझा जाए, का प्रावधान करना।

संपत्ति बेचना 17. कंपनी का व्यवसाय या उसके किसी भाग को ऐसे प्रतिफल हेतु जिसे कंपनी उचित समझे, बेचना या निस्तारण करना तथा विशेषकर किसी अन्य संघ, निगम या कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स या प्रतिभूतियों को या किसी अन्य कंपनी को प्रोन्नत करना या की प्रोन्नति में सहायता करने हेतु बेचना या निस्तारण करना या कंपनी की सभी या किन्हीं संपत्तियों, अधिकारों या देयताओं या किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए भागीदारी करना, जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कंपनी के लिए मायने रखती हो, का अधिग्रहण करना।

संविदा करना 18.(क) विदेशी व्यक्तियों कंपनियों या अन्य संगठनों के साथ कंपनी के

सभी एवं किन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपकरणों की खरीद हेतु एवं तकनीकी, वित्तीय या भीकिसी अन्य सहायता हेतु करारों एवं संविदाओं को करना।

(ख) कोई भी सरकार या प्राधिकरण (नगर पालिका, स्थानीय या अन्यथा) या कोई निगमों, कंपनियों फर्म या व्यव्तियों जो कपनी के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक हो, के साथ करार करना एवं कंपनी द्वारा वांछनीय समझी जाने वाली किसी भी संविदा, अधिकार, विशेषाधिकार तथा रियायतों को किन्हीं ऐसी सरकार, प्राधिकरणों, निगमों, कंपनियों या व्यव्तियों से प्राप्त करना तथा ऐसी किसी भी संविदा, अधिकार, विशेषाधिकार तथा रियायत को पूरा करना, प्रयोग एवं अनुपालन करना।

(ग) क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति की संविदाएं करना।

एजेंसियों आदि की स्थापना करना

19. एजेंसियों को स्थापित करना एवं बनाए रखना। कंपनी का पंजीकरण करने या मान्यता दिलाने हेतु शाखा स्थलों एवं स्थानीय पंजिकाओं को बनाना तथा विश्व के किसी भी भाग में व्यवसाय को करना तथा कंपनी को विश्व के किसी भी भाग में ऐसे अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को दिलाने हेतु कदम उठाना जैसा स्थानीय कंपनियों या भागीदारों के पास हो या जैसा उचित समझा जाए।

मूल्यह्रास निधि में अंशदान करना

20 खरीदने का वादा करने, क्रय करने, अन्यथा अधिग्रहण करने हेतु अंशदान करना तथा शेयर स्टॉक, प्रतिभूतियों एवं (ऋणदाता)के साक्ष्यों का निपटारा या संचालन करना या किसी सरकार प्राधिकरण, निगम या निकाय या किसी कंपनी या व्यव्तियों के निकाय द्वारा जारी लाभों या अन्य समान दस्तावेजों में हिस्सेदारी का अधिकार या उससे संबंधित कोई विकल्प या अधिकार।

मूल्यह्रास निधि बनाना

21 कोई मूल्यह्रास निधि, आरक्षित निधि, शोधन निधि, बीमा निधि या कोई अन्य निधि सृजित करना चाहे वह कम्पनी के किसी भी संपत्ति के मूल्यह्रास या मरम्मत, सुधार करने, बढ़ाने या अनुरक्षण करने के लिए या वरीयता शेयरों के उन्मोचन करने या किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए हो, जो कुछ भी कंपनी के हित में सहायक हो,।

बैंकों में खाते खोलना

22. किसी व्यव्ति, फर्म या कंपनी या किसी बैंक या बैंकर्स या सर्राफ

के पास खाता या खातों को खोलना तथा ऐसे खाते या खातों से धन का भुगतान तथा आहरण करना।

कंपनियों को अधिग्रहीत करना	23.	किसी भी कंपनी में या के शेयरों, स्टॉक्स या प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करना जो इस व्यवसाय को करने हेतु पात्र है या किसी अन्य कंपनी या उपक्रम जिसका अधिग्रहण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी हितों को बढ़ावा देने जैसा हो या लाभकारी हो तथा ऐसे किन्हीं शेयरों, स्टॉक्स या प्रतिभूतियों के बेचना या निस्तारण करना या हस्तांतरित करना।
परामर्शी सेवाएं देना	24.	किसी भी क्षेत्र से जुड़े क्रिया-कलापों में परामर्शी सेवाओं के व्यवसाय को बढ़ावा देना, व्यवस्था करना।
अन्य कंपनियों को बढ़ावा देना	25.	किसी भी कंपनी को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने में सहमत होना, जिसको बढ़ावा देने से कंपनी के उद्देश्यों या कंपनी के किसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने हेतु वांछनीय समझा जाएगा।
सुविधाजनक व्यवसाय चलाना	26.	सामान्यतः ऐसे अन्य सभी विषयों को अंजाम देना, जिन्हें उपरोव्त उद्देश्यों या उनमें से किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु प्रासंगिक एवं सहायक माना जाए तथा किसी भी व्यवसाय को चलाना, जिसे किसी भी कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने के संबंध में आसानी से कंपनी को समर्थ बनाया जा सके या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी की किसी संपत्ति या अधिकारों के मूल्यों को बढ़ाया या लाभप्रदता दी जा सके।
	ग.	**अन्य उद्देश्य**
उद्यमी के रूप में कार्य करना	27.	भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उद्यमी के रूप में आर्थिक निवेश के नए क्षेत्रों की पहचान करने हेतु कार्य करना तथा उसका निवेश करना या ऐसे निवेशों में सहायता करना।
धन उधार देना	28.	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अध्यधीन संपत्ति पर या अचल संपत्ति को बंधक रखने या बैंक गारंटी के प्रति धन उधार देना तथा जैसा निदेशकों द्वारा आवश्यक समझा जाए उन शर्तों पर वस्तुओं एवं सेवाओं की भावी आपूर्ति के प्रति अग्रिम धन उपलब्ध कराना तथा कंपनी के धन को ऐसी विधि से निवेश करना, जैसा निदेशकों को उचित लगे तथा उसी का विक्रय, हस्तांतरण या लेन-देन करना।

सूचनाएं आदि एकत्रित करना	29.	कंपनी द्वारा किए गए किसी भी व्यवसाय के संबंध में सभी आवश्यक सूचनाओं की व्यवस्था करना, प्राप्त करना तथा एकत्रित करना।
भू-मार्ग आदि से व्यवसाय करना	30.	समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर भूमि, समुद्र एवं वायु मार्ग से व्यवसाय का प्रबंध करना।
सहायक कंपनियों द्वारा व्यवसाय किए जा रहे सामान आदि **का व्यवसाय करना**	31.	कंपनी की किसी भी सहायक कंपनी द्वारा निर्मित,उत्पादित व डील की जा रही सभी वस्तुओं, मालों तथा चीजों, चाहे कुछ भी हो, का किसी भी ढंग से व्यापार करना तथा डीलिंग करना।
		तथा एतदद्वारा यह घोषणा की जाती है कि,
	(क)	इस खण्ड में इस कंपनी के संदर्भ में जब शब्द 'कंपनी' प्रयुव्त किया जाता है तो उसमें कोई भी भागीदारी या व्यव्तियों का अन्य निकाय शामिल माना जाएगा, चाहे वह भारत का या कहीं और का हो, चाहे निगमित किया गया हे या न किया गया हो।
	(ख)	इस खण्ड में 'भारत' शब्द का जब प्रयोग किया जाता है जब तक कि अन्यथा संदर्भ के विरूद्ध न हो, समय-समय पर भारत संघ में शामिल सभी क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाएगा।
	(ग)	इस खण्ड के 'उत्तर प्रदेश' शब्द का जब प्रयोग किया जाता है जब तक कि अन्यथा संदर्भ के प्रतिकूल न हो, समय-समय पर उत्तर प्रदेश राज्य में शामिल सभी क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाएगा।
सीमित देयताएं	iv	सदस्यों की देयताएं सीमित हैं।
शेयर पूंजी	v	कंपनी की शेयर पूंजी 4000 करोड़ रू. (चार हजार करोड़ रूपए मात्र) है, जिसे प्रत्येक 1000/-रू. के 4,00,00000(चार करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।
टिप्पणी		दि.- 29, सितंबर, 2005 को संपन्न 17 वीं वार्षिक आम बैठक में विशेष संकल्प पारित कर कंपनी की शेयर पूंजी को 3000 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 4000 करोड़ रूपए कर दिया गया है।

अंशदाता का नाम, पता, विवरण तथा व्यवसाय, यदि कोई हो	प्रत्येक अंशदाता द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	अंशदाता के हस्ताक्षर	गवाहों के नाम तथा उनके पते एवं विवरण तथा व्यवसाय, यदि कोई हो।
1. श्री जे.सी.गुप्ता पुत्र श्री पी.सी. गुप्ता सदस्य(एचई) सीईए, भारत सरकार,नई दिल्ली। (भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित) 2.श्री वी.के.खन्ना पुत्र स्व. श्री एच.के. खन्ना संयुक्त सचिव विद्युत मंत्रालय, विद्युत विभाग, (भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित) 3. श्री यू.वी. भट्ट पुत्र श्री यू.आर. भट्ट, संयुक्त सचिव(वित्त) विद्युत मंत्रालय, विद्युत विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली (भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित) 4. श्री शहजाद बहादुर, पुत्र स्व. श्री कैलाश बहादुर, सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत विभाग, (उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा नामित) 5. श्री ए.के.दास, पुत्र स्व. श्री टी.के.दास सचिव उत्तर प्रदेश सरकार सिंचाई विभाग (उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा नामित)	दो इक्विटी शेयर एक इक्विटी शेयर एक इक्विटी शेयर एक इक्विटी शेयर एक इक्विटी शेयर एक इक्विटी शेयर	हस्ताक्षरित जे.सी.गुप्ता हस्ताक्षरित वी.के. खन्ना हस्ताक्षरित यू.वी.भट्ट हस्ताक्षरित शहजाद बहादुर हस्ताक्षरित ए.के.दास हस्ताक्षरित	हस्ताक्षरित वी. मलिक एवं एसोशिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेट्स भूतल-12 मानसरोवर, 90 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

6. श्री के.के. कश्यप, पुत्र श्री वी.पी. कश्यप, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी (भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित) 7. श्री ए.सी. सेन, पुत्र स्व. श्री एस.सी.सेन, संयुव्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित)	एक इक्विटी शेयर	के.के. कश्यप हस्ताक्षरित ए.सी.सेन	

नई दिल्ली, दिनांक

टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)

का

संगम अनुच्छेद

व्याख्या

व्याख्या	1.	'संगम अनुच्छेद तथा इसके अनुच्छेदों' की व्याख्या में विषय या उसके संदर्भ में बताए गए निम्न अर्थ से है।
अधिनियम या उक्त अधिनियम		'अधिनियम' या इस अधिनियम से तात्पर्य यथासंशोधित कम्पनी अधिनियम 1956 से है।
मण्डल या निदेशकों का मण्डल		"मण्डल बोर्ड " या निदेशकों का मण्डल से तात्पर्य विधिवत बुलाई गई और गठित की गई बैठक या जैसा भी हो, निदेशकों का मण्डल में एकत्र होना या निर्धारित निदेशकों के द्वारा कम्पनी अधिनियम के अनुपालन में एक संकल्प परिपत्र जारी करने का पात्र हो।
पूंजी		"पूंजी " से आशय कम्पनी के उद्देश्यों के लिए फिलहाल बढ़ाई गई पूंजी या प्राधिकृत रूप से बढ़ाया जाने से है।
अध्यक्ष		" अध्यक्ष " का तात्पर्य कम्पनी के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष से है।
कम्पनी या इस कम्पनी		"कम्पनी " या " इस कम्पनी " से आशय टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से है।
निदेशक		"निदेशक " से आशय कम्पनी के फिलहाल कार्यरत निदेशकों से है या जैसा भी हो बोर्ड में सम्मिलित निदेशकों से है।
लाभांश		" लाभांश में बोनस शेयर भी सम्मिलित हैं।

निष्पादक या प्रशासक	"निष्पादक " या प्रशासक " से आशय उस व्यव्ति से है जिस व्यव्ति ने किसी सक्षम न्यायालय से, जैसा भी हो, या प्रशासन का पत्र प्राप्त किए हैं।
लिंग	शब्द में पुर्लिंग के साथ स्त्रीलिंग भी सम्मिलित है।
भारत सरकार	"भारत सरकार " से आशय भारत के गणतंत्र सप्रभुता सरकार से है।
उत्तर प्रदेश सरकार	" उत्तर प्रदेश सरकार " से आशय उत्तर प्रदेश राज्य के सरकार से है।
सरकारी निगम	सरकारी निगम से आशय (i) वर्तमान समय में प्रचलित कानून के अधीन सरकार द्वारा स्थापित एक निगम तथा (ii) अधिनियम में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी से है।
माह	" माह " का अर्थ कलैण्डर माह से है।
कार्यालय	"कार्यालय " का आशय वर्तमान में कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय से है।
व्यव्ति	"व्यव्तियों " में निगम के साथ-साथ एकवचन संख्या भी सम्मिलित है।
बहुवचन	बहुवचन में एकवचन सहित बहुवचन शब्द भी आते हैं।
राष्ट्रपति	"राष्ट्रपति " का आशय भारत के राष्ट्रपति से है।
राज्यपाल	"राज्यपाल" का आशय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल से है।
रजिस्टर	"रजिस्टर " का आशय अधिनियम के अनुपालन में रखे गए सदस्यों का रजिस्टर से है।
रजिस्ट्रार	"रजिस्ट्रार " से आशय राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज से है, जिसमें कम्पनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थापित है।

इनकी उपस्थितियां या		"प्रतिनिधियों " या "विनियमों " का आशय विनियमों के अनुच्छेद संगम से है जो मूलरूप से बनाए गए हों या समय-समय पर परिवर्तित कर तथा ऐसा कभी आवश्यक होने पर संगम सहित।
मुहर		"मुहर " से आशय कम्पनी में प्रयुक्त की जा रही आम मुहर से है।
एकवचन		बहुवचन सहित एकवचन से आशय है।
शेयर		"शेयर " से आशय शेयर या स्टॉक से है जो पूंजी को अलग करता है तथा ऐसे शेयरों या स्टॉक के साथ ब्याज दर्शाता है।
लिखित		लिखावट में दिखाई देने वाला प्रिंटिंग या लिथोग्राफी सहित तथा अन्य किसी भी प्रकार की पूर्व प्रस्तुति या बनाए गए शब्दों से होगा।
समान अर्थ रखने वाले अनुच्छेदों को वाले **अधिनियम में अभिव्यक्ति**		जैसा कि पूर्व में कहा गया है अधिनियम में परिभाषित रखने कोई भी शब्दों या अभिव्यक्ति सिवाय जहां विषय या संदर्भ फोरविड इन अनुच्छेदों का अर्थ उसी तरह अर्थ होगा।
हाशिया टिप्पणियां		हाशिया नोट इसके निर्माण को प्रभावित नहीं करेगी।
सारणी 'क' लागू न करना	2.	अधिनियम के प्रथम अनुसूची में सारणी 'क' में विनियमितें सिवाय अधिनियम द्वारा या इन अनुच्छेदों के लागू होने के उद्देश्य या जहां तक इसकी पुनरावृत्ति या निहित होने के कारण कम्पनी पर लागू नहीं होगा।
कम्पनी का अनुच्छेदों के द्वारा शासित होना	3.	कम्पनी प्रबंधन के लिए विनियमों तथा उसके सदस्यों तथा प्रतिनिधियों के अवलोकन के लिए ये उपर्युक्त विषय तथा किसी विशेष संकल्प द्वारा इसके अनुच्छेद संगम रिपील या बदलाव या जोड़ने के विषय में कम्पनी की वैधानिक शक्तियों का कोई उपयोग करने में पूर्व कथनानुसार अधिनियम द्वारा विहित या अनुमन्य ऐसे जैसाकि इन अनुच्छेदों में दिया गया है।
कम्पनी-कम्पनी है	4.	कम्पनी अधिनियम 1956 के निजी अनुभाग 3(i) (iii) के

अर्थ के अंतर्गत 'कम्पनी' एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है।

(क) कम्पनी के वर्तमान सदस्यों की संख्या (i) ऐसे व्यव्ति जो कम्पनी में कार्यरत हो, तथा (ii) ऐसे व्यव्ति जो कम्पनी में पूर्व में नौकरी के दौरान कम्पनी में सदस्य रहा हो तथा नौकरी खत्म होने के बाद भी लगातार सदस्यता रखता हो, लेकिन जहां दो या दो से अधिक व्यव्ति कंपनी में संयुव्त रूप से एक या एक से अधिक शेयर रखता हो, वे इस अनुच्छेद के उद्देश्य से एक सदस्य के रूप में माना जाएगा।

(ख) कम्पनी के लाभांश या शेयर में किसी भी सार्वजनिक चंदा आमंत्रित करने के लिए प्रतिबंधित है।

(ग) भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार कम्पनी के पूंजी को 3:1 के अनुपात में इक्विटी तथा ऋण की पात्र धारकता तथा चंदा देने वाला है तथा यह अनुपात हमेशा बनाए रखा जाएगा।

(घ) शेयरों का अंतरण इसमें बताए गए प्रतिबंध के अनुसार प्रतिबंधित है।

पूंजी एवं शेयर

पूंजी

5. कंपनी की शेयर पूंजी 4000 करोड़ रूपए (चार हजार करोड़ रूपए मात्र) को 1000/- प्रत्येक के इक्विटी शेयरों को 4,00,00,000(चार करोड़) में विभाजित किया गया है।

टिप्पणी

29 सितंबर, 2005 को 17वीं वार्षिक महा सभा की बैठक में शेयर होल्डरों के द्वारा एक विशेष संकल्प पारित करके कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 3000 करोड़ रूपए से 4000 करोड़ रूपए बढ़ा दिया गया है।

आवंटन

6. अधिनियम के प्रावधान होने पर ये अनुच्छेद तथा शेयर राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अधिकार हैं, शेयर निदेशक मण्डल के नियंत्रण में होगी जो उसे आवंटित या उसे रोक भी सकते हैं।

प्रमाणपत्र

सदस्यों को अधिकार प्रमाणित करना

7. प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया है बिना वेतन, कम्पनी के आम सील के तहत उसके द्वारा शेयर या शेयरों को रखा गया है तथा उनका भुगतान किया गया है, विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाण पत्र का हकदार है।

नया निर्गत करना

8. यदि शेयर सर्टीफिकेट खराब, खोने या समाप्त होते है तो एक खराब शेयर सर्टीफिकेट नियमों के तहत अधिनियम की फीस जो 50 पैसे से अधिक न हो तथा खोने या समाप्त होने की शर्तों पर यदि कोई ऐसा हो तो प्रमाण के तौर पर तथा प्रमाणन और कंपनी के द्वारा बिना खर्चों के प्रमाण के जांच पर निदेशक जैसा भी उचित समझे इसे नवीनीकरण करते समय प्रमाणित कर दिया जाए।

शेयरों का अंतरण एवं परावर्तन

स्थानांतरण एवं शेयर

9. अनुच्छेद 4 के प्रावधान के होने पर सदस्यों को अपने शेयरों का स्थानांतरण अंतरण अधिकार निम्नानुसार प्रतिबंधित होगी-

(क) राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जैसे भी स्थिति हो अनुमोदित एक सदस्य द्वारा अन्य पात्र व्यक्ति को स्थानांतरण की पात्रता जैसा भी मामला हो शेयरों को स्थानांतरित किया जा सकता है।

(ख) पूर्व कथित जैसा विषय तथा अधिनियम के भाग IV के प्रावधानों के होने पर निदेशक अपने खराब एवं अनियंत्रित निर्णय में, शेयरों के किसी अंतरण को पंजीयन करने से मना कर सकते है।

अंतरण रजिस्टर

10. कंपनी एक बुक रखेगी जिसे अंतरण रजिस्टर कहा जाएगा तथा उसमें किसी भी शेयर का अंतरण या कई परावर्तनों का विवरण लिखा जाएगा।

अंतरण निष्पादन

11. कंपनी के किसी शेयर के स्थानांतरण का तरीका अंतरणकर्ता एवं अंतरणी व्यक्ति के द्वारा निष्पादित किया जाएगा तथा अंतरणकर्ता को तब तक शेयर होल्डर समझा जाएगा जब तक

स्थानांतरित व्यक्ति सदस्यों के उसके संदर्भ में रजिस्टर में अंकित नहीं हो जाता है।

शेयरों का रूपांतरण

12. अनुच्छेद 9 में कम्पनी की कोई भी शक्ति किसी व्यक्ति को शेयर धारक के रूप में जिसे कम्पनी में कानून के अनुपालन के द्वारा कम्पनी में कोई शेयर स्थानांतरित करने का अधिकार है को, पंजीकृत करने के लिए पूर्वाग्रसित नहीं है।

पूंजी की वृद्धि, कमी एवं परिवर्तन

पूंजी की वृद्धि

13. राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति की अनुमति होने पर तथा अधिनियम के प्रावधान के होने पर कम्पनी अपनी आम सभा में अपनी शेयर पूंजी को ऐसे राशि को शेयरों में बांटकर ऐसे राशि को संकल्प के रूप में इसकी और से विहित करेगा।

किन परिस्थितियों में शेयरों को जारी किया जाए

14. इस बारे में राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा **नए** ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के तहत जारी किया जाएगा, उसके साथ ही ऐसे अधिकार एवं विशेषाधिकारों से महा बैठकों में बढ़ाने के तहत निपटान निर्देशित किए जा सकेंगे। बशर्ते कि कोई भी शेयर (प्राथमिकता अप्राप्त शेयरों) कम्पनी में मताधिकार या अधिकारों को प्रयोग करते हुए ताकि लाभांश पूंजी या अन्य जो भी गैर अनुपाती है को अन्य शेयरों (शेयरों जिन्हें वरीयता नहीं दी जा रही है) को जुड़ने का अधिकार है।

वर्तमान सदस्यों को कब दिया जाए

15. नए शेयर (जैसा पूर्व में कहा गया है कि पूंजी के बढ़ने के फलस्वरूप) अनुच्छेद 6 के प्रावधान के अनुसार जारी या निपटान किया जा सकता है।

नए शेयरों को मूल पूंजी के रूप में

16. इन अनुच्छेदों या निर्गत दशाओं के द्वारा सिवाय जहां तक अन्यथा प्रदान किया गया है, नए शेयरों के द्वारा बढ़ी हुई किसी पूंजी को मूल पूंजी का भाग माना जाएगा और कॉल एवं किस्तों ट्रंसफर एवं ट्रंसमिशन, जब्त, लिएन, सरेण्डर, मतों एवं अन्य किसी भुगतान के संदर्भ के साथ इसमें निहित प्रावधानों के होने पर होगा।

पूंजी का कम होना

17. अधिनियम के अनुभाग 100 से 104 के प्रावधानों के रहने

पर तथा ऐसे निर्देशों को राज्यपाल के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जा सकता है। कम्पनी समय-समय पर विशेष संकल्प द्वारा पूंजी भुगतान बंद करने द्वारा इसकी पूंजी में कमी करके या उस पूंजी को जो खत्म हो चुकी है स्थगन करके या उपलब्ध संपत्तियों के द्वारा अप्रर्शित है या उससे अधिक है या शेयरों पर देयताएं घटाने पर या कोई त्वरित प्रतीत होने से तथा फूटिंग पर पूंजी भुगतान बंद होने पर जिससे इसको एक बार या अन्यथा लिया जा सके, और बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों पर शेयरों को सरेण्डर करना स्वीकार कर सके।

शेयरों के उपखण्ड तथा एकत्रीकरण

18. राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति के अनुमोदन होने पर कंपनी, महा सभा में उसमें से एक एवं अधिनियम के अनुभाग 94 के उप अनुभाग (i) (क) से (घ) के द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके शेयरों को समय-समय पर विभाजित या समेकित कर सकता है तथा अधिनियम के द्वारा यथावांछित ऐसे किसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे नोटिस को रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा।

उधार ली गई शक्तियां

उधार ली जाने वाली शक्तियां

19. राज्यपाल के परामर्श और अधिनियम के उपखण्ड 292 के प्रावधानों के साथ राष्ट्रपति के अनुमोदन होने पर निदेशक मण्डल समय-समय पर बोर्ड की बैठक में संकल्प पारित करके कम्पनी के उद्देश्य के लिए किसी राशि या धनराशि की मात्रा के उधार एवं/या भुगतान को सुरक्षित कर सकता है, बशर्ते कि कंपनी की वर्तमान संपत्तियों के शपथपत्र(हाईपोथिकेशन) पर कार्य करने के लिए पूंजी आवश्यकता के उद्देश्य के लिए बैंक से ऋण लेने के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा।

छूट इत्यादि जारी करना या विशेष प्राधिकारों के साथ

20. राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति के अनुमोदन होने पर तथा अधिनियम के उपखण्ड 79 तथा 117 के होने पर कोई बॉण्ड, छूट पर प्रीमियम या अन्य किसी और पर किसी विशेषाधिकार के साथ प्रतिदान, समर्पण, ड्राइंग्स तथा शेयरों का आवंटन जारी किया जा सकता है।

महा सभाओं की सूचना

21(क) अधिनियम के द्वारा प्रदत्त विधि में महा सभा की कम से

कम 21पूर्ण दिनों का लिखित में नोटिस जिसमें बैठक का स्थान दिन एवं समय घंटे के साथ बैठक में किए गए व्यापार का विवरण सभी सदस्यों को दिया जाएगा लेकिन सहमति के साथ, लिखित में नोटिस प्राप्त करने वाले सभी पात्र सदस्यों को ऐसे अलग से सूक्ष्म नोटिस के द्वारा किसी आम सभा से उन सदस्यों के द्वारा जैसा उचित समझते हैं उस तरीके से किया जाए।

21(ब) वार्षिक आम बैठकों की अपेक्षाकृत सभी आम बैठकों को अतिरिव्त विशिष्ट बैठकें कहा जाएगा।

नोटिस देने में चूकने संकल्प पारित करने में अक्षमता

22. आकस्मिक चूक नोटिस देना या उसे किसी सदस्य द्वारा प्राप्त न करने पर किसी ऐसी बैठकों में किसी संकल्प को पास करना अक्षमता नहीं मानी जाएगी।

कोरम

23. व्यव्तिगत रूप से तीन सदस्यों की उपस्थिति कम्पनी की महा सभा के लिए कोरम गठित हो जाता है।

महा सभा का अध्यक्ष

24. अध्यक्ष, प्रत्येक महा सभा की अध्यक्षता करने का पात्र है लेकिन यदि ऐसी बैठक को करने के समय के 15 मिनट तक अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है या अध्यक्षता नहीं करना चाहता है, तो उपस्थित सदस्य अन्य निदेशक को अध्यक्ष के रूप में चुनें तथा, यदि कोई निदेशक उपस्थित नहीं होता है तो, या सारे निदेशक अध्यक्षता करने से मना करते हैं तो उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को अध्यक्ष चुनेंगे।

अध्यक्ष का समापन निर्णय

25. किसी भी बैठक का अध्यक्ष ऐसे बैठक में प्रत्येक पड़े हुए मत की वैधता का एक मात्र निर्णायक होगा।

मतदान करते समय अध्यक्ष उपस्थित रहकर ऐसे मतदान में प्रत्येक दिए गए मत की वैधता का एक मात्र निर्णायक होगा।

सदस्यों के मत

मत

26. प्रत्येक सदस्य व्यव्तिगत रूप से उपस्थित रहने या मत देने का पात्र या दूसरे के बदले पक्षकार के लिए एक मत अपना हाथ खड़ा कर उसके द्वारा प्रत्येक शेयर के लिए एक मतदान करेगा।

मृतक सदस्य के शेयर के संदर्भ में मत

27. कोई व्यक्ति ट्रांसमिशन क्लॉज के तहत महासभा में किसी शेयर को ट्रांसफर करने को मत कर सकता है। इस संदर्भ में यदि वह उस शेयर का रजिस्टर्ड होल्डर या बशर्ते कि बैठक होने के कम से कम 72 घंटे पूर्व या बैठक स्थगित होने जैसे भी मामला होता है किस पर अपना मत प्रस्तावित करता है, वह निदेशकों को ऐसे शेयर के ट्रांसफर करने का अधिकार से संतुष्ट करेगा जब तक कि निदेशकों ने उसके इस मामले में ऐसी बैठक में मताधिकार को पूर्व में ही स्वाकार कर लिया हो।

प्रतिनिधि का फार्म

28.(क) विशिष्ट बैठक के लिए प्रतिनिधि का प्रत्येक प्रतिनिधि या अन्यथा ऐसी परिस्थिति के समान के रूप में स्वीकार किया जाएगा या निम्न तरह से लागू होगा।

(ख) अधिनियम के अनुभाग/उपखण्ड 171 से 186 के प्रावधानों को इसमें विशिष्ट रूप से सम्मिलित न करते हुए महा सभाओं के संबंध में लागू करेगा।

टिहरी हाइड्रो डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

मैं...का सदस्य एतद्द्वारा श्री..को दि.........................को होने वाली कंपनी की वार्षिक/असाधारण महासभा बैठक में मेरे लिए उपस्थिति एवं मत करने के लिए तथा उसके किसी स्थगन पर मेरे प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति करता है।

दि....................... को साक्षी के रूप में गवाह के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर..................................

रजिस्टर्ड धारकों के अलावा कंपनी शेयरों को प्रस्तुत करने लिए बाध्य नहीं है

29. जैसाकि इसमें अन्यथा दिया गया है, निदेशक उस व्यक्ति को जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में किसी शेयर का के पूर्ण रूप से पक्का मालिक हो तथा तदनुसार (सिवाय न्यायालय के सक्षम कार्य क्षेत्र या जैसे आवश्यक कानून द्वारा) किसी बेनामी ट्रस्ट के रूप में या इक्विटिवल आकस्मिकता या अन्य दावा को या किसी व्यक्ति के भाग के रूप में ऐसे शेयर के ब्याज के रूप में नहीं करेगा चाहे या अनचाहे या उसका नोटिस तामील करेगा।

निदेशक मंडल

निदेशक मण्डल द्वारा प्रबंधन करना

30. कम्पनी का व्यापार प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया **कंपनी** जाएगा।

निदेशकों की संख्या

31.(1) राष्ट्रपति समय-समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या निर्धारित करेगी जो सात सदस्यों से कम तथा 15 सदस्यों से अधिक नहीं होगी।

(2) धारा(3) के प्रावधान के रहने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कंपनी के अन्य निदेशक राष्ट्रपति के द्वारा चयनित किए जाएंगे।

निदेशकों की नियुक्ति

(3) कंपनी के निदेशक पूर्णकालिक निदेशक या अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं।

बशर्तें कि अंशकालिक निदेशकों की संख्या किसी भी समय निदेशकों की कुल संख्या के 1/3 से कम न हो।

आगे यह व्यवस्था दी गई है कि ऐसे अंशकालिक निदेशकों की संख्या अंशकालिकों के कुल सदस्यों का 1/3 के भाग के बराबर हो सके लेकिन दो से कम सदस्यों के मामले में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

32.(i) राष्ट्रपति के द्वारा समय-समय पर निर्धारित पूर्णकालिक निदेशकों को वेतन एवं/या भत्ते की तरह दिए जाते हैं। अधिनियम की धारा 314 के प्रावधान के निहित ऐसे संभावित पारितोषण जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया गया हो उसके या उनको या अन्यथा के द्वारा किसी एक या अधिक निदेशकों को उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त या विशिष्ट सेवाओं के लिए भुगतान किया जा सकता है।

(ii) अंशकालिक निदेशक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तें एवं निबंधनों के होने पर की जाएगी।

(iii) यदि प्रबंध निदेशक की किसी मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से कोई पद खाली होता है तो राष्ट्रपति किसी ऐसे निदेशक जो प्रबंध निदेशक के कार्यों को करने के लिए

अनुच्छेद 31 के तहत नियमित नियुक्ति होने तक उपयुक्त हो, की नियुक्ति कर सकता है।

(iv) कम्पनी के प्रत्येक तीसरी महासभा में प्रत्येक पूर्णकालिक निदेशकों तथा सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे निदेशकों के अलावा सेवानिवृत्त हो रहे निदेशकों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक सेवानिवृत्त निदेशक पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(v) भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग में प्रतिनिधित्व कर रहे निदेशक उस मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग से एक अधिकारी के पद पर न रहते हुए सेवानिवृत्ति हो जाएगें।

(vi) राष्ट्रपति समय-समय पर किसी भी समय किसी भी अंशकालिक निदेशक को उसके कार्यालय से हटा सकता है। अध्यक्ष एवं पूर्ण कालिक निदेशकों के साथ प्रबंध निदेशक को नियुक्ति की शर्तों के अनुपालन के साथ हटाया जा सकता है या राष्ट्रपति द्वारा लिखित में जारी किया गया 6 माह की अवधि समाप्त होने पर ऐसी शर्तें निर्धारित न होने पर नोटिस अवधि के बदले में वेतन के भुगतान पर तत्काल प्रभाव से कार्यालय से हटा सकता है।

(vii) अधिनियम के धारा 274 एवं 283 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक की अयोग्यता एवं निदेशक के द्वारा कार्यालय छोड़ने के संबंध में लागू होगा।

वैकल्पिक निदेशक

33. निदेशक के स्थान पर जो भारत से बाहर हो या भारत से बाहर जाने वाला हो और उस राज्य में जहां सामान्य रूप से निदेशक मंडल की बैठकें होती हैं, में से तीन माह से कम की अवधि तक अनुपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है। राष्ट्रपति कम्पनी के अध्यक्ष के परामर्श पर निदेशक के उस राज्य जिसमें निदेशक मंडल की सामान्यतः बैठकें होती रहती हैं में 3 माह से अधिक अनुपस्थित रहने के विकल्प के तौर पर किसी व्यक्ति को एक वैकल्पिक नेदशक नियुक्त कर सकता है। तदनुसार उनकी बोर्ड की बैठकों के नोटिस प्राप्त करने तथा बैठकों में सम्मिलित होकर मत देने की पात्रता होगी।

34. अधिनियम की धारा 292 एवं 293 के प्रावधान के रहने पर निदेशक मंडल समय-समय पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के

अधीन ऐसी शक्तियां जिन्हें उचित समझते हैं, को सौंपते हुए एवं प्रदान करते हुए तथा ऐसी शक्तियों का ऐसे समय के लिए सौंपना तथा ऐसे उद्देश्यों के लिए उसका प्रयोग करना और ऐसी शर्तों एवं निबंधनों एवं प्रतिबंधों के साथ जैसा इसे त्वरित समझा जाए और समय-समय पर वापस लेना, वापसी ले लेना या बदल देना या किसी ऐसी शक्तियों में परिवर्तन कर सकते हैं।

शक्तियां

35.(क) कोई भी अध्यक्ष निदेशक मंडल के प्रस्तावों या निर्णयों को जो उनके विचार से उचित कोई महत्वपूर्ण मामले जो बोर्ड के सम्मुख रखे जाते हैं और उनकी तरफ से वह सही है तो ऐसे निर्णयों को राष्ट्रपति के निर्णय (आवश्यक होने पर जो राज्यपाल के परामर्श से निर्णय लिया गया हो) के लिए और ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर कोई निर्णय लिया गया हो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लिया गया है, को अध्यक्ष राष्ट्रपति निर्णय के लिए आरक्षित रखेगा।

(ख) उपर्युक्त प्रावधानों के बिना किसी पूर्वाग्रस्त के सर्व व्यापकता पर बोर्ड किसी मामले से संबंधित राष्ट्रपति के निर्णय को सुरक्षित रखेगा।

(i) पूंजीगत व्यय के किसी कार्यक्रम में ऐसी धनराशि जो 10 करोड़ रूपए से अधिक जो स्वीकृत प्राक्कलनों का भाग नहीं बनते है, बशर्तें कि परियोजना के लिए किसी वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन के अंतर्गत आवश्यक वित्तीय तथा उसी वर्ष में ऐसी परियोजनाओं पर आगे के वर्षों में संबंधित बजट आवंटन पर प्राथमिकता दी जाएगी, इसके अतिरिक्त परियोजना के कई आवश्यक भागों के प्राक्कलनों की तैयारी के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मामले और जहां ऐसी रिपोर्टों को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया है, बोर्ड के लिए पूंजीगत व्यय के आगत को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा तथा निदेशक मंडल का स्वीकृत प्राक्कलन में प्रत्येक आवश्यक भाग के लिए प्रावधान होने पर उसे स्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अनुमोदित प्राक्कलनों की भिन्नता(घटत-बढ़त) के मामले में किसी विशेष भाग के लिए 10औ से अधिक नहीं है, 10 करोड़ की सीमा लागू नहीं होगी तथा निदेशक मंडल कार्य राष्ट्रपति

को संदर्भित किए बिना कार्य को आगे बढ़ाने को सक्षम होंगे, बशर्ते कि परियोजना के क्षेत्र में भारी भिन्नता नहीं है।

उपर्युक्तानुसार बोर्डों को 10 करोड़ रूपए से अनाधिक के पूंजीगत व्यय के आगत के अनुमोदन करने का अधिकार निगम के अनुमोदित पूंजीगत बजट में योजना के बने रहने की दशा में होगी।

(ii) कम्पनी के द्वारा प्रस्तावित विदेशी सहयोग से किए जाने वाले अनुबंध सम्मिलित है।

(iii) कम्पनी राजस्व बजट जिसमें घाटे की गंजाइश है तथा जिसे सरकार के फण्ड से प्राप्त करने पर पूरा करना प्रस्तावित है।

(iv) कम्पनी के पूंजीगत बजट के विकास के लिए वार्षिक एवं पंचवर्षीय वार्षिक योजना।

(v) कम्पनी का वाइन्डिंग अप।

(vi) कम्पनी की बिक्री किराया निपटान या पूर्ण या कम्पनी की पूरी जिम्मेदारी लेना।

(vii) किसी भी व्यक्ति जिसकी उम्र 58 वर्ष है (विदेशी तकनीकी कार्मिक के अलावा) पेंशन एवं/या सेवानिवृत्त लाभों के समकक्ष पेंशन सहित 10,000/- वेतन पर या इससे ऊपर पर नियुक्ति करना।

दिशा-निर्देश जारी करने हेतु राष्ट्रपति की शक्तियां

36. इन अनुच्छेदों में कुछ होते हुए भी राष्ट्रपति समय-समय पर कम्पनी के व्यापार तथा कम्पनी मामलों के आचरण के संबंध में आवश्यक समझे जाने वाले निर्देश या निर्देशों को जारी कर सकते हैं तथा ऐसे किसी निर्देश/िनर्देशों को अलग से वार्षिक तौर पर जारी कर सकते हैं। निदेशक ऐसे जारी निर्देश या निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे। विशेष रूप से राष्ट्रपति को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं-

(i) राष्ट्रीय सुरक्षा या दृढ़ जनहित निहित मामलों में कम्पनी को निर्देश देना ताकि इन कार्यों के पालन एवं निष्पादन को कार्यान्वित किया जा सके।

(ii) कम्पनी की संपत्ति एवं क्रियाकलापों के संदर्भ में ऐसे वसूलियों, लेखों तथा अन्य सूचनाओं का समय-समय पर आवश्यक होने पर जानकारी लेना।

(iii) पूर्ण या अंशतः स्वामित्व धारी कम्पनी(यों), या सहायक(कों) जिनके प्रचालन से उनकी शेयर पूंजी में प्रतिभागिता सहित संसाधनों पर विचार किए बिना कंपनियों को वित्त पोषित किया जाना है।

(iv) कम्पनी के वार्षिक अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक वित्तीय एवं आर्थिक उद्देश्यों का बोर्ड के परामर्श से निर्धारण करना।

बशर्ते कि राष्ट्रपति द्वारा जारी सभी निर्देश अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को संबोधित होंगे। सिवाय जहां राष्ट्रपति चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता के हितार्थ बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा जारी निर्देशों, कथनों को सम्मिलित करते हुए तथा कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर इसका प्रभाव भी दिखाएंगे।

(v) पार्टनरशिप में प्रवेश और/या लाभों के शेयर के लिए प्रबंधन के संबंध में निर्णय लेना।

37. राष्ट्रपति की अनुमति के लिए निदेशकों के किसी प्रस्ताव या निर्णय के संबंध में कम्पनी द्वारा निर्णय नहीं लिया जाएगा जब तक उनका अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता है। राष्ट्रपति को निदेशकों के किसी ऐसे प्रस्ताव या निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है।

निदेशक कम्पनी के द्वारा बनाई गई कम्पनी के निदेशक बन सकते हैं

38. इस कम्पनी के अध्यक्ष द्वारा संबंधित कम्पनी के अध्यक्ष हो सकते हैं, निदेशक भी बन सकते हैं या जिसमें ये वेण्डर, सदस्य या किसी अन्य रूप में भी इच्छुक हैं तथा ऐसे

निदेशक ऐसी कम्पनी के निदेशक या सदस्य के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

नोटिस देने में भूल

39. निदेशकों को किसी निदेशक की बैठक की आकस्मिक भूल से संकल्प इस तरह की किसी बैठक में पारित किए गए अवैद्ध नहीं होगी।

बोर्ड बैठक में प्रश्नों का कैसे निर्णय करना

40. निदेशक मंडल की बैठक के बारे में निदेशक को कभी भी सूचित किया जा सकता है। किसी भी बैठक में उठाए गए प्रश्नों पर बहुमत द्वारा निर्णय किया जाएगा तथा मतों की असमानता की स्थिति में द्वितीय या मत डालने का अधिकार अध्यक्ष को है।

बोर्ड की बैठक में अध्यक्षता कौन करेगा

41. अध्यक्ष के उपस्थित रहने पर, निदेशकों की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे या उनकी अनुपस्थिति में यदि प्रबंध निदेशक उपस्थित हैं तो प्रबंधक निदेशक करेंगे। यदि किसी बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दोनों समय पर उपस्थित नहीं हैं तो उस समय उपस्थित निदेशकों में से एक निदेशक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुना जाएगा

बोर्ड समितियां गठित कर सकती है

42. अधिनियम की धारा 292 के प्रावधानों के अधीन बोर्ड समिति के ऐसे सदस्यों जिन्हें बोर्ड योग्य समझती है, को कोई भी अधिकार प्रदान कर सकती है तथा इसे समय-समय पर ऐसे प्राधिकारों को बहाल कर सकती है। कोई भी समिति जो इस तरह बनी हुई हो और ऐसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो समय-समय पर निदेशकों द्वारा थोपी गई है किसी भी विनियम का निर्धारण ऐसी समिति की प्रक्रियाविधि को अगली बैठक में निदेशक मंडल के सम्मुख रखा जाएगा।

समितियों की बैठकों को किस तरह शासित करना है

43. दो या दो से अधिक सदस्यों वाली ऐसी किसी समिति की बैठकों एवं कार्रवाईयों को निदेशकों के बैठकों एवं कार्रवाईयों के विनियमित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के द्वारा शासित किया जाएगा, जहां तक उस पर यह लागू होता है तथा पिछले पूर्व अनुच्छेद के तहत निदेशकों के द्वारा बनाए गए किसी विनियमों के द्वारा अतिक्रमण नहीं होता है।

समितियों की बैठकों के अध्यक्ष	44.	समिति अपनी बैठक में अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया है या यदि किसी बैठक के निर्धारित समय के 15 मिनट के अंदर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उपस्थित सदस्य किसी एक सदस्य को बैठक का अध्यक्ष चयनित कर सकते हैं।
बोर्ड के सामान्य अधिकार	45.	निदेशक मंडल कंपनी के गठन एवं पंजीकृत करने में हुए व्यय का भुगतान कर सकते हैं।
निदेशकों को विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं	46.	इन अनुच्छेदों के द्वारा दिए गए सामान्य अधिकारों के बिना किसी पूर्वाग्रस्त, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निदेशकों को निम्न अधिकार होंगे जिन्हें अधिकार कहा जाएगाः-
उप नियम बनाने के लिए	(1)	कम्पनी के कार्यों को विनियमित करने के लिए इसके अधिकारियों एवं सेवकों के लिए समय-समय पर उप-नियम बनाना एवं निरस्त करना।
भुगतान करना एवं ब्याज लगाना आदि		(2) अधिनियम प्रावधानों के तहत कम्पनी हित में कानूनन देय तय लेखा पूंजी का भुगतान प्रभारित करना।
संपत्ति अर्जित करना		(3) कम्पनी संपत्ति अधिकार एवं विशेषाधिकारों के लिए खरीदकर किराए पर या किसी और तरीके से अर्जित करना जिसे कम्पनी ऐसे मूल्य एवं सामान्यतः ऐसे किसी शर्तों एवं निबंधनों पर जिन्हें वह उचित समझती है, अधिकृत करने के लिए प्राधिकृत है।
लाभांश में संपत्ति के लिए भुगतान करना		(4) किसी संपत्ति या अधिकार अर्जित कर या कंपनी सेवाओं के लिए नगद रूप में पूर्ण या आंशिक या शेयर बाण्ड्स, लाभांशों (डेवेन्चर्स), लाभांश स्टॉक (डेवेन्चस स्टॉक) या शेयरों में जिसे या तो पूर्ण प्रदत्त या ऐसी राशि का प्रदत्त रूप में जमा पर सहमति के साथ तथा ऐसे किसी बाण्डो, डिवेंचरों, डिवेंचर स्टॉकों या अन्य सेक्युरिटीज सभी पर या कंपनी की

संपत्ति के किसी भाग पर तथा इसकी अवांछित पूंजी या ऐसे अप्रभारित पर विशिष्ट रूप से प्रभारित हो सकता है।

बंधक द्वारा संविदाओं को सुरक्षित करना

(5) कम्पनी द्वारा किसी संविदा या बंधक(समझौते) के हो जाने की पूर्तियों का बंधक द्वारा या सभी के प्रभार या कम्पनी के किसी संपत्ति द्वारा तथा समयावधि में इसकी अप्रदत्त पूंजी या ऐसा कोई अन्य तरीका जिसे वह उचित समझती है, को सुरक्षित करना।

मध्यस्थता करने हेतु अग्रसर करना

(6) किसी दावा या की गई मांग या कम्पनी के विरूद्ध मध्यस्थता एवं अवलोकन एवं अवार्डों को प्रेषित करना।

धन जमा करना

(7) भारतीय रिजर्व बैंक में निवेश करना या राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किसी ऐसे सिक्यूरिटी तथा निगम (कम्पनी में शेयर न होने पर) के संगम अनुच्छेद के द्वारा किसी ऐसे प्राधिकृत निवेश कम्पनी के साथ कार्य किया जा रहा हो ऐसे किसी सिक्युरिटी में तथा ऐसे तरीके से जिसे वे उचित मानते हैं तथा समय-समय पर ऐसे निवेशों को परिवर्तन करना एवं एकत्र करना।

बोनस देना

(8) कम्पनी के कर्मचारियों या पूर्व कर्मचारियों के कल्याण के लिए या व्यापार में लगे पूर्वजों तथा पत्नियों, विधवाओं एवं परिवारों या आश्रितों या ऐसे कर्मचारियों से संबंध या निर्माण द्वारा पूर्व कर्मचारियों या भवनों के निर्माण में योगदान कर रहे निवासियों या बस्तियों या धन प्रदान करने के द्वारा भत्तों, बोनस लाभ शेयर बोनसों या किसी तरह का लाभ या उत्पन्न किए गए तथा समय-समय पर अभिदत्तों या अन्य ऐसोशिएशन, संस्था अनुदान, लाभों के हिस्से/या अन्य योजना या ट्रस्ट द्वारा भविष्य निधि में योगदान करते हुए

भविष्य निधि शुरू करना

अनुदेश एवं मनोरंजन, अस्पताल एवं डिस्पेंसरी, चिकित्सा तथा अन्य सेवाओं के स्थानों को प्रदान करने या अभिदत्त या योगदान करने तथा सहायता कल्याण या राहत के रूप में जैसा निदेशक उचित समझते हैं, के रूप में प्रदान करना।

अन्य निधियों को अभिदत्त करना

(9) वैज्ञानिक संस्थानों या उद्देश्यों को अभिदत्त या अन्य रूप से सहायता कर धन सुनिश्चित(पक्का) करना।

मूल्यह्रास तथा अन्य निधियों का प्रावधान करना

(10) कम्पनी के लाभ में से लाभांश को संस्तुति करने से पूर्व अलग प्रावधान करने जिसे मूल्यह्रास या मूल्यह्रास निधि के लिए उचित समझा जाए, रिजर्व या आकस्मिकताओं को पूरा करने हेतु अलग निधि या बीमा निधि या किसी विशेष या आकस्मिकताओं को पूरा करने हेतु अन्य निधि या प्राथमिक शेयरों के पुनर्भुगतान वापस करने और विशेष लाभांश तथा लाभांशों को बराबर करने तथा मरम्मत एवं बदलने, सुधार करने, बढ़ाने तथा कम्पनी की सम्पत्ति के किसी हिस्से की मरम्मत तथा ऐसे अन्य उद्देश्यों (सब-क्लॉज-ix में संदर्भित उद्देश्य सहित) के लिए उचित समझा जाए जैसा कि निदेशक कम्पनी के हित में सही निर्णय लेने में उचित विवेक को सहायक समझते हैं तथा कई राशियों का एक तरफा निवेश या उसका इतना ज्यादा जितने इन निवेशों, अधिनियम के द्वारा धारित रूकावटों के होने पर जमा करने की आवश्यकता है। जैसा भी निदेशक उचित समझते हैं तथा समय-समय पर परिवर्तनों के साथ ऐसे निवेशों एवं निपटान तथा सबको लागू करना एवं बढ़ाना या कम्पनी के लाभ के लिए उसका कोई भाग, इस तरह एवं ऐसे उद्देश्यों के लिए जैसे निदेशक (उपरोव्त कहे गए प्रतिबंध के होने पर) के सटीक निर्णय कम्पनी के हित में सहायक सोचने पर न होते हुए भी कि जो मानकी निदेशकों के द्वारा लागू या जिस पर उसका विस्तार किया गया था उसका कोई भाग भी हो सकता है या जिस पर कम्पनी की पूंजीगत राशि सही तरीके से शुरू हो सकती है। या बढ़ा दी गई है और रिजर्व निधि को इस तरह विशेष निधि में विभाजित करना जैसा भी निदेशक उचित समझते हैं तथा सभी को सम्पत्तियों को गठित करते हुए प्रयोग करना या ह्रास निधि सहित किसी भी उपर्युव्त निधि या खरीद में या वापस योग्य प्राथमिक शेयरों का पुनर्भुगतान तथा बिना किसी वैधन में रहते हुए अन्य सम्पत्तियों से अलग रखा जाए या पावर के साथ उस पर ब्याज तथापि निदेशकों के निर्णय पर निदेशकों को भुगतान करना या ऐसी निधि को ऐसी दर पर जिस पर निदेशक उचित समझते हों 6औ प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

पदों का सृजन

(11) कम्पनी मामलों के प्रभावीपूर्ण आचरण के लिए ऐसे

पदों जिन्हें आवश्यक मानते हुए और इन पदों पर नियुक्ति करते हुए तथा ऐसे पदों पर की गई नियुक्तियों वाले व्यक्तियों की सेवाओं का अनुबंध एवं शर्तों का निर्धारण करना।
बशर्ते कि महाप्रबंधक के पद के संबंध में तथा राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले सभी पदों की सेवाओं की अनुबंध एवं शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

अधिकारियों की नियुक्ति

(12) अनुच्छेद (36) (ख) (vii), के अधीन ऐसे समस्त प्रबंधकों, सचिवों, अधिकारियों, कलर्कों, ऐजेन्टों एवं नौकरों को नियमित, अनियमित या विशिष्ट सेवाओं, समय-समय पर नियुक्ति करना तथा उनके निर्णय पर हटाना या निलम्बित जैसा उचित समझा जाए तथा उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण करना एवं उनके वेतनों या परिलब्धियों को नियत करना तथा ऐसे क्षणों में आवश्यक सुरक्षा एवं ऐसी राशि जिसे वे उचित समझते हैं तथा बिना किसी पूर्वागृह के उपरोक्त कथनानुसार समय-समय पर भारत में किसी विशिष्ट स्थानीय स्थल में कम्पनी के प्रबंधन एवं लेन-देन के मामलों की जैसाकि उचित समझा जाए, उस रूप से करना।

(13) अधिनियम की धारा 292 के अधीन सभी को किसी शक्तियों, प्राधिकारियों एवं निर्णयों को जो फिलहॉल निदेशकों में समाहित हैं, आंशिक प्रत्यायोजित करना या तथापि इसके द्वारा ऐसे विषयों पर अंतत्वः नियंत्रण एवं प्राधिकारित्व बनाए रखना।

प्राधिकारी जिसे शक्तियों का उप-प्रत्यायोजन करना है

(14) ऐसा कोई भी प्रत्यायोजन या एटोर्नी जैसा कि पहले कहा गया है निदेशकों के द्वारा समस्त को उप-प्रत्यायोजित या उसमें विहित कुछ समय के लिए किसी भी शक्ति, प्राधिकारी एवं निर्णय हेतु प्राधिकृत कर सकता है।

पैसा उधार लेना

(15) ऐसे शर्तों एवं निबंधनों जो उन्हें उचित लगते हों पर सहायक एवं सम्मिलित संगठनों से धन उधार लेना।

सील

सील एवं इसके अभिरक्षा में

47.(क) निदेशक मंडल कम्पनी के लिए एक आम सील उपलब्ध करवाएगा और समय-समय पर उसे

समाप्त कर तथा उसके बदले नए सील में परिवर्तन करने का अधिकार है।

सील का निर्गत करना

(ख) कम्पनी का सील बोर्ड के संकल्प के प्राधिकार के सिवाय कोई भी तरीका नहीं लगाएगा या इसके द्वारा बोर्ड की एक समिति की ओर से प्राधिकृत तथा कम से कम दो निदेशकों एवं सचिव या किसी अन्य व्यव्ति की उपस्थिति के बिना जैसे बोर्ड उद्देश्य के लिए नियुव्त कर सकता है तथा जो दो निदेशक या ऐसे अन्य व्यव्तियों जैसा पहले कहा गया है कम्पनी के सील पर अपनी उपस्थिति में प्रत्येक उपकरण चिन्ह लगाएगा।

लाभों एवं लाभांशों का विभाजन

लाभों का विभाजन

48. लाभांश के रूप में भुगतान के लिए उपलब्ध कम्पनी लाभ उससे संबंधित किसी विशेष अधिकारों के उत्पन्न होने पर या इनके रहते हुए उत्पत्ति या प्राधिकृत होने एवं आरक्षित निधि के रूप में उन प्रावधानों के होने पर राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ सदस्यों को भुगतान किया जाएगा।

कम्पनी महासभा में लाभांश की घोषणा कर सकता है

49. कम्पनी महासभा में लाभों में उनके संबंधित अधिकारों के अनुसार सदस्यों को लाभांश का भुगतान के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं लेकिन लाभांश बोर्ड के द्वारा की गई संस्तुत राशि से अधिक नहीं होगी।

अंतरिम लाभांश

50. निदेशक समय-समय पर ऐसे अंतरिम लाभांश सदस्यों को कम्पनी की स्थिति को देखते हुए औचित्यपूर्ण निर्णयानुसार भुगतान किया जा सकता है।

लेखा

सदस्यों के द्वारा कम्पनी के लेखों एवं

51.(क) लेखों के बुक को अधिनियम की धारा 209 के अनुपालन में रखा जाएगा।

बुकों को रखना एवं निरीक्षण

51(ख) निदेशक समय-समय पर कब और कैसे तथा किस समय तथा स्थानों एवं किन परिस्थितियों या कम्पनी के लेखा बुकों के विनियमों या उनमें से कोई निदेशक न होने पर सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुला रखेगा लेकिन कोई निदेशक (निदेशक न होने पर) या कम्पनी का किसी भी लेखा दस्तावेज सिवाय कानून प्रदत्त या बोर्ड या कम्पनी द्वारा महासभा में प्राधिकृत हो का निरीक्षण करने का अधिकार रखता है।

लेखापरीक्षा

लेखों की वार्षिक लेखापरीक्षा होना

52. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार लेखों या कम्पनी की जांच की जाएगी। तथा लाभ एवं हानि लेखों और तुलनपत्र की निश्चितता को अधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा सही किया जाएगा।

लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

53. कम्पनी के लेखापरीक्षा/लेखापरीक्षकों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति अधिनियम की धारा 619 के प्रावधानों के अनुपालन के साथ भारत के महा नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की सलाह पर भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकार

54. भारत के महालेखापरीक्षक को अधिकार प्राप्त हैं-

(i) ऐसे तरीकों को निर्देशित करना जिससे कम्पनी के लेखा को अनुच्छेद 54 के अनुक्रम में लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षकों के द्वारा लेखापरीक्षित किया जाएगा और ऐसे लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षकों को उसके/उनके कार्यों में इस तरह निष्पादन के मामले में निदेश जारी करना, और

(ii) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा जैसा वे अपनी ओर से उचित समझते हों कम्पनी के

लेखों की अनुपूरक या जांच लेखापरीक्षा तथा ऐसे लेखापरीक्षा के आवश्यक सूचना या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अतिरिक्त सूचना दी जानी हो और इस रूप में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सामान्य या विशेष आदेश सीधे आयोजित कर सकते हैं।

(iii) जैसा कि पहले कहा जा चुका है लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षकों को अपनी/ उनकी लेखा रिपोर्ट की एक प्रति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत करेगा जिसे लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अपने औचित्यतानुसार उस रूप में जिसे वह उचित समझते हैं, मंत्व्य या अनुपूरक अंकित करने का अधिकार प्राप्त है।

(iv) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ऐसी कोई टिप्पणी या अनुपूरक को उस रूप में जिस रूप में वह लेखा परीक्षा रिपोर्ट में थी कम्पनी के वार्षिक महासभा के सम्मुख रखी जाएगी।

बैठकों की भागीदारी करना लेखापरीक्षकों का अधिकार

55. कम्पनी के लेखापरीक्षक कम्पनी के किसी भी महासभा में जाने के लिए सूचना पाने के पात्र होंगे उनके द्वारा किसी भी प्रकार के लेखे जिसकी जांच या रिपोर्टिंग की जा चुकी है, कम्पनी के सम्मुख रखी जाएगी और लेखों के संबंध में अपनी इच्छानुसार कोई विवरण या स्पष्टीकरण कर सकते हैं।

जब लेखे अनंतिम रूप से तय किए जा रहे हों

56. कम्पनी द्वारा महासभा की प्रत्येक लेखा की कब लेखापरीक्षित की जानी है अनुमोदित होने पर निर्णय लिया जाएगा।

सूचना

सदस्य की मृत्यु एवं दीवालिया होने पर व्यव्ति शेयरों के अधिग्रहण पर सूचना

57. सदस्य की मृत्यु या दीवालिया के कारण शेयरों के पात्रता व्यव्ति को सदस्य द्वारा उपलब्ध करवाए गए पते पर उन्हें डाक द्वारा उनके नाम से पूर्व भुगतान पत्र में भेजना या उनके उपनाम या मृतक के प्रतिनिधि या दीवालिया के अधिकृत व्यव्ति द्वारा या इसके लिए भारत में पते पर किसी विवरण(यदि कोई) इस तरह का व्यव्ति के द्वारा इस उद्देश्य के लिए दावा करने या जब तक ऐसे पते का किसी भी तरीके से नोटिस देते हुए जिसमें यदि मृत्यु या दीवालिया का कोई जिक्र न हो, दिया जा सकता है।

परिसंपत्तियों का बंटवारा

58. यदि कम्पनी परिसमाप्त होने पर और सभी सदस्यों में उपलब्ध परिसंपत्तियों का वितरण इस तरह से पूर्ण प्रदत्त पूंजीगत का पुनर्भुगतान अनुपयुव्त होगा, ऐसी परिसंपत्तियों का बंटवारा किया जाएगा ताकि जितना भी कम से कम हो सके हानियों को पर परिसमाप्त करने की घोषणा पर उनके द्वारा क्रमशः प्राप्त किए गए शेयरों पर पूंजीगत प्रदत्त के अनुपात में सदस्यों के द्वारा वहन किया जाएगा। और यदि परिसमाप्त पर सदस्यों में उपलब्ध परिसंपत्तियों के बंटवारे संपूर्ण पूंजीगत का उपयुव्त पुनर्भुगतान करने के अपेक्षाकृत ऐसे परिसंपत्तियों को सदस्यों में उनके मूल प्रदत्त पूंजीगत के अनुपात में क्रमशः उनके शेयरों के अनुपात के रूप में बांट दिया जाएगा। लेकिन इस खण्ड का बिना किसी पूर्वाग्रस्त होते हुए शेयर धारकों का अधिकारों के तहत विशेष शर्तों एवं निबंधनों पर जारी किए गए हैं।

गोपनीयता

गोपनीयता खण्ड

59. कोई भी सदस्य बिना किसी निदेशक की अनुमति से कम्पनी का दौरा या निरीक्षण करने का पात्र नहीं होगा या किसी खोजबीन करने संबंधी आवश्यकता या कम्पनी व्यापार या कोई मामला है या गोपनीय व्यापार की प्रकृति में हो, के किसी सूचना संबंधित विवरण या किसी मामलों जो कम्पनी के व्यापार के आचरण से संबंधित गोपनीय या गोपनीय प्रक्रिया हो,

तथा जो निदेशक के विचार से कम्पनी के सदस्यों के हितों में जनता को सूचित करने में असमीचीन होगा।

क्षतिपूर्ति एवं जिम्मेदारी

निदेशकों एवं अन्य को क्षतिपूर्ति करने का अधिकार

60.(i) कम्पनी अधिनियम के अनुच्छेद 201 (i) के प्रावधानों के पाए जाने पर प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, लेखापरीक्षक, सचिव या अन्य अधिकारी या अन्य अधिकारी या कम्पनी का कर्मचारी के द्वारा लिए गए किसी देयता के विरूद्ध(प्रति) क्षतिपूर्ति बंधक रखा जाएगा तथा निदेशकों का यह कर्तव्य होगा कि कम्पनी के इस निधि में से सभी लागतों, हानियों एवं खर्चों (यात्रा खर्चा सहित) जिसे कोई ऐसा निदेशक, प्रबंधक, अधिकारी और कर्मचारी खर्च कर सकता है या किसी संविदा के तहत या अधिनियम या उसके या उनके ऐसे निदेशक, प्रबंधक, अधिकारी या नौकर या किसी अन्य तरीके से अपनी सेवाओं को निस्तारण करने से कोई देयता होती है या उनमें से तथा वह राशि जिसके ऐसे दी गई क्षतिपूर्ति बंधक को कम्पनी के संपत्ति में लिएन के रूप में तत्काल रूप से जोड़ दिया जाएगा और उसे सदस्यों के मध्य सभी अन्य दावों की प्राथमिकता में रखी जाएगी।

(ii) पूर्व में कहने के अनुसार कम्पनी के प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक या अधिकारी उसके/उनके द्वारा लिए गए किन्हीं दायित्वों के प्रति क्षतिपूर्ति बंध/या चाहे सिविल या आपराधिक किसी कार्रवाईयों में हारते हुए जिसका निर्णय उसके या उनके पक्ष में दिया गया हो, जिसमें वह शामिल है या उनका द्वारा पता लगाया गया है या अधिनियम अनुच्छेद 633 के अधीन किसी आवेदन के संबंध में पता लगाया गया हो जिसमें उसे/उनको न्यायालय द्वारा कुछ राहत दी गई हो।

अन्यों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं

61. अधिनियम के अनुच्छेद 201 के प्रावधानों के होने पर कोई निदेशक, प्रबंधक, या कम्पनी का कोई अन्य अधिकारी कार्यों, प्राप्तियों, मनाही या

कोई अन्य निदेशकों की गल्तियों या अधिकारी या किसी प्राप्ति में ग्रहण करने के लिए या एकरूपता को छुपाने या किसी कार्य या किसी नुकसान या अपूर्णता के द्वारा कम्पनी के खर्चा हो जाने या निदेशक के आदेश के द्वारा कम्पनी की ओर से और कम्पनी के लिए किसी संपत्ति को अर्जित

करने की कमी का नाम देना या अपूर्णतया के लिए या किसी सुरक्षा के कमी में या कम्पनी किसी धन जिस पर निवेश किया जाएगा या किसी हानि के लिए या दीवालियापन के कारण हो रहे नुकसान, दीवालिया या किसी व्यव्ति के धीमे कार्य करने के कारण कम्पनी या कारपोरेशन जिससे कोई धन, सेक्युरिटीज या सामान सौपी जाएगी या जमा की जाएगी या किसी निर्णय की गलती के द्वारा किसी अवसर में कोई हानि या उसके/उनकी ओर से अनदेखी से या किसी अन्य हानि या नुकसान या दुर्घटना घटित होने से जो भी हो, जो उसके या उनके कार्यालय के कर्तव्यों के निष्पादन में घटित होती है या उसके संबंध में जब तक ऐसा अपने बेमानी से होता हो।

हिस्सेदारी

62(क) टिहरी बांध काम्पलैक्स की लागत भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य निम्न आधार पर बांटा जाएगा-

(i) विद्युत भाग के लागत का 25औ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(ii) विद्युत भाग के लागत का 75औ भारत सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा।

(iii) 'िसंचाई भाग' का पूरा हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा तथा सिंचाई भाग से संबंधित कार्यो को कम्पनी द्वारा डिपोजिट आधार पर निष्पादित किया जाएगा जिसकी पूर्ण लागत

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना के पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश सरकार कम्पनी को प्रतिवर्ष आवश्यक मरम्मत प्रभारो के लिए सिंचाई भाग के मरम्मत कार्यों का भुगतान करेगा जैसा कि कम्पनी एवं उत्तर प्रदेश सरकार में आपसी सहमति हुई है।

(ख) संदर्भित सिंचाई भाग से आशय "टिहरी बांध परियोजना " की लागत का 20औ से है। "सिंचाई भाग " से आशय निम्नलिखित कुल राशि से है-

(i) "टिहरी बांध परियोजना " की लागत का 80औ
(ii) "टिहरी बांध परियोजना चरण-।। " की कुल लागत
(iii) "कोटेश्वर हाइडिल योजना " की कुल लागत
(iv) टिहरी से दादरी तक ट्रंसमिशन व्यवस्था (या अन्य कोई सहमति प्राप्त टर्मिनस) अतिरिव्त उच्च वोल्टेज ट्रंसमिशन लाइनों एवं अतिरिव्त उच्च वोल्टेज सब-स्टेशनों की कुल लागत।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना पर पहले से किया गया व्यय उत्तर प्रदेश सरकार के लागत हिस्से को तय करने के लिए गणना की जाएगी।

बस बार दर करने के संदर्भित अनुच्छेद 62 एवं अनुच्छेद 63 में की गई व्याख्या को परियोजना के पावर हाउस में बिजली उत्पादन के प्रति यूनिट के लागत अर्थ के रूप में मान लिया जाएगा। इक्विटी के साथ-साथ व्याज घाटा सहित तथा भारत सरकार के द्वारा ऐसे जारी की जाने वाली दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कम्पनी के द्वारा समय-समय पर इन अनुच्छेदों के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को मुफ्त बिजली आपूर्ति मान लिया जाएगा।

लाभ

63. टिहरी बांध परियोजना काम्पलैक्स से मिल रहे लाभों को उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार के बीच निम्न आधार पर बांटा जाएगा-

(i) उत्तर प्रदेश सरकार को "सिंचाई हिस्से " के उपलब्ध लाभों के बदले में 100औ लागत की भागीदारी।

(ii) बस बार पर कुल उत्पादित बिजली का 12औ गृह राज्य का नैसर्गिक संसाधनों का उपयोग के बदले में रायल्टी के रूप में मुफ्त प्रदान करना।

(iii) बस बार पर उत्पादित बिजली का अतिरिव्त 88औ का 25औ बिजली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र के 25औ योगदान के बदले उत्तर प्रदेश सरकार को आवंटित करना।

(iv) बस बार पर उत्पादित बिजली का शेष 66औ भारत सरकार द्वारा 75औ लागत हिस्से के बदले में केन्द्रीय पूल में रहेगा तथा भारत सरकार द्वारा किए गए मानक फार्मूले के अनुपालन में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच बांटा जाएगा।

(v) उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार को विद्युत की आपूर्ति के लिए उपर्युव्त उपखण्ड (iii) एवं (iv) को बढ़ाते हुए संबंधित लाभार्थियों को समय-समय पर अनुमोदित टैरिफ के अनुपालन के साथ कम्पनी विद्युत प्रभारों का भुगतान करेगी।

ग्राहक बनने वाले का नाम, पता, विवरण एवं व्यवसाय यदि कोई हो	ग्राहक के हस्ताक्षर	गवाहों के हस्ताक्षर एवं उनके पते, विवरण एवं व्यवसाय यदि कोई हो
1. श्री जे.सी. गुप्ता, पुत्र श्री पी.सी. गुप्ता, सदस्य (एचई) सीईए, भारत सरकार, नई दिल्ली (भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित) **2. श्री वी.के. खन्ना,** पुत्र स्व. श्री एच.के. खन्ना, संयुक्त सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत विभाग, (भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित) **3. श्री यू.वी. भट्ट,** पुत्र श्री यू.आर. भट्ट संयुक्त सचिव(वित्त), ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, (भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित) **4. श्री शहजाद बहादुर,** स्व. श्री कैलाश बहादुर, सचिव उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत विभाग, (उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा नामित) **5. श्री ऐ.के. दास,** पुत्र स्व. श्री टी.के. दास, सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, सिंचाई विभाग (उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा नामित) **6. श्री के.के. कश्यप,** पुत्र श्री वी.पी. कश्यप, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एनएचपीसी, (भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित) **7. श्री ए.सी. सेन,** पुत्र स्व. श्री एस.सी. सेन, संयुक्त सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, (भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित)	हस्ताक्षरित (जे.सी. गुप्ता) हस्ताक्षरित (वी.के. खन्ना) हस्ताक्षरित (यू.वी. भट्ट) हस्ताक्षरित (शहजाद बहादुर) हस्ताक्षरित (ए.के. दास) हस्ताक्षरित (के.के. कश्यप) हस्ताक्षरित (ए.सी. सेन)	हस्ताक्षरित वी. मलिक एवं एसोसिएट्स पुत्र चार्टड एकान्टेन्ट जीएफ-13 मानसरोवर, 90 नेहरू पेलेस नई दिल्ली-110019